अपील सूचना अधिकार संख्या 88/2021 (GCMS 2021/144)(RTI No. 212064221935249)(पोस्ट ऑर्डर नं. 52एफ–314696)राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> जिला कलैक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर

<u>11.02.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 29.06.2021 से अठारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शांस्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2021 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. पत्रांक प्रार्थी 7261 दिनांक 31.12.18, आपके कार्यालय में आरटीआई पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिं
2. पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 13.05.2020 तक प्रार्थी के पत्रांक पर की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले [illegible] व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व [illegible] की प्रमाणित प्रति।
4. पत्रांक प्रार्थी 7198 दिनांक 13.12.17, आपके कार्यालय में प[illegible] की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 12.5.2020 तक इस प्रार्थी के पत्रांक पर की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
6. पत्रांक प्रार्थी 7198 दिनांक 19.12.20107 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचनां
7. प्रार्थी के पत्रांक पर दिये गये जवाब की सूचना व जवाब की प्रमाणित प्रति।
8. शासन संयुक्त सचिव, राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग जयपुर का पत्रांक प(2)(1)(32) का/क–3/शि/17 जयपुर दिनांक 27.6.17 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख, पत्र प्राप्ति का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
9. पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 12.05.2020 तक पत्र पर जो जो कार्यवाही की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
10. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
11. इस पत्र का जो जवाब दिया गया है, उसकी सूचना व जवाब की .....
12. शासन संयुक्त सचिव, राजस्थान सरकार कार्मिक (क–3/शिकायत)विभाग,जयपुर प.2(1)32/का/क–3/शि/17 दिनांक 7.7.17 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना।
13. उपरोक्त पत्रांक दिनांक 7.7.17 पर आपके विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

14. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
15. पत्रांक शासन संयुक्त सचिव प2(1)(32) का/क–3/शि/17, जयपुर दिनांक 5.5.17 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
16. पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 12.5.2020 तक श्रीमान द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
17. इस पत्रांक का जो जवाब दूसरे पक्षकार द्वारा दिया गया है, उसकी सूचना।
18. कार्यवाही के पूर्ण निष्पादन में लगने वाले समय की सूचना।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 628 दिनांक 29.06.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमांक 7559 दिनांक 12.5.2021 (पोस्टल ऑर्डर नं. 52 एफ–314969) से जो सूचना चाही गई है, वह अस्पष्ट है। अतः आप कृपया चाही गई सूचना बाबत पत्रों की छाया प्रतियां एवं स्पष्ट अंकित कर भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

-sd-
(... सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित पत्रों की स्पष्ट प्रति उपलब्ध करवा दे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अजि. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested